प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515008001005

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
मुरादाबाद, फतेहपुर तथा वाराणसी।

संख्या 1/836/2011–1/13/2011 : लखनऊः दिनांक 29 जुलाई, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–आयोजनेत्तर–1005–क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) अधिष्ठान के मानक मद –49–चिकित्सा व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आप द्वारा मानक मद–49 चिकित्सा व्यय में की गयी मांग के अनुसार प्रमुख सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1107/33–3–2011–100(41)/2010 दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0–**1152112/– (रूपया– ग्यारह लाख बावन हजार एक सौ बारह मात्र)** की धनराशि लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–आयोजनेत्तर –1005–क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु निदेशालय के प्रथम आवंटन आदेश सं0–1/44/ 2011–1/13/2011 दिनांक 15–4–2011 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्नक कालम संख्या–4 में अंकित धनराशि आवंटित की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ स0–57 पर अंकित है।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/836/1/2011 –उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2–विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3,उत्तर प्रदेश शासन।
3–उपसचिव,वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0शासन।
4–महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
5–महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
6–वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

letter (05) GPA-ADOP First allotment